उत्तर प्रदेश शासन,

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-7/800/30-4-2014-172/89

लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2014

अधिसूचना

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम-2007 (अधिनियम संख्या-41 सन् 2007) की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी सूची के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराध को शमन करने हेतु स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट धनराशि के लिए शमन करने हेतु अधिकृत करते हैं:-

अनुसूची

अधिकारी जिनके द्वारा अपराधों का शमन किया जा सकता है	प्रावधान जिसके अधीन किसी अपराध को शमन किया जाना है	धनराशि जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है
1	2	3
परिवहन विभाग के यात्रीकर अधिकारियों/मालकर अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये अपराधों के सम्बन्ध में उक्त श्रेणी के समस्त अधिकारी और उनके ऊपर के अधिकारी। फिर भी जहॉ ऐसा अधिकारी स्थानान्तरण सेवानिवृत्ति आदि के कारण उपलब्ध न हो तो अपराधों का शमन अगले उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।	धारा 18 की उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध	रू0 4000/- प्रथम अपराध के लिये तथा प्रत्येक दूसरे अपराध या अनुवर्ती अपराध के लिये रू0 7500/-

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/800(1)/तीस-4-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 05 जून, 2014 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-7/800(2)/तीस-4-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(4) विधायी अनुभाग-1।
(5) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
(6) अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG -4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.800 / XXX-4-2014-172/89, dated June 05, 2014.

Notification

No.7/800/XXX-4-2014-172/89
Lucknow, Dated: June 05, 2014

In exercise of the powers under section-19 of the Carriage by Road Act, 2007 (Act no.41 of 2007) Governor is pleased to direct that the officers specified in column-1 may compounded the offence punishable under section specified in column-2 of amount specified in column-3 of the Schedule below-

Schedule

Officers by whom the offences may be compound	Provision under which an offence is to be compounded.	Amount for which an offence is to be compounded
1	2	3
All officers of the Transport Department of the rank of Passenger tax officers/Goods tax officers and above in respect of the offences detected by them. Where however, such as officer is not available due to transfer, retirement etc. the offences can be compounded by the next higher officer.	offences punishable under sub-section (1) of section 18	Rs4000/- for the first offence and for every second offence or subsequent offences Rs. 7500/-

By order,

(Kumar Arbind Singh Deo)
Pramukh Sachiv

http://Shasanadesh.up.nic.in